'सभी के लिए किश्तों में आवास योजना' में घर लेने के लिए लोगों में दिखा क्रेज

10 प्रतिशत दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए योजना का पंजीकरण आज से और ई-बिड सबमिशन 8 जून से प्रारंभ

- जयपुर चारदीवारी के सैंकड़ों लोगों ने आवासन मंडल का घर खरीदने के लिए विजिट की साइट
- हाउसिंग बोर्ड ने शनिवार और रविवार को मौका दिखाने के लिए की थी विशेष व्यवस्था

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। बुधवार नीलामी उत्सव के तहत सभी के लिए किश्तों में आवास योजना का लाभ उठाते हुए घर खरीदने के लिए आम लोगों में जबर्दस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जयपुर के प्रतापनगर स्थित आवासन मंडल के गोमती, गंगा और प्रताप अपार्टमेंट के आवासों को खरीदने के लिए रविवार को इच्छुक खरीददारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उल्लेखनीय है कि आवासन मंडल द्वारा शनिवार और रविवार को मौका दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई है।

आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन ने बता दिया है कि उनके लिए घर कितना जरूरी है।

लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने 27 मई को सभी के लिए किश्तों में आवास योजना को लॉन्च किया था। मंडल के आवास उचित कीमत पर उपलब्ध होने, प्राइम लोकेशन पर स्थित होने और उनमें पानी, बिजली, सड़क, पार्किंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं होने की वजह से आम जन में लोकप्रिय हो रहे हैं।

इस योजना के तहत आवासन मंडल ने नया नया नारा दिया है 'मकान की कीमत का 10 प्रतिशत दीजिये और गृह प्रवेश कीजिये'।

इस योजना के तहत आमजन को 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50 फीसदी तक की छूट पर किश्तों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह आवास 13 वर्षों की 156 आसान मासिक किश्तों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। आम आदमी ऑनलाईन बिड के माध्यम से पारदर्शी प्रणाली के तहत आवास खरीद सकेंगे। इस योजना का पंजीकरण 1 जून, 2020 से प्रारंभ किया जायेगा और ई-बिड सबमिशन 8 जून, 2020 से प्रारंभ होगा।

उन्होंने बताया कि बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ही अब आवासन मण्डल के सभी कार्यालयों की हैल्प डेस्क, घर बैठे या ई-मित्र पर जाकर अपनी बिड/नीलामी प्रस्ताव प्रत्येक सोमवार को प्रात: 10.00 बजे से बुधवार सांय 4.00 बजे तक ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

इन प्रस्तावों को पूर्ववत प्रत्येक बुधवार सांय 4.30 बजे ऑनलाईन ही खोला जायेगा एवं सफल बिडदाता को किश्तों पर आवास आवंटित किया जायेगा। इस योजना से संबंधित नियम, शर्तों, उपलब्ध आवासों की सूची, आरक्षित दर, छूट का प्रतिशत एवं ऑनलाईन प्रस्ताव देने की प्रक्रिया आवासन मण्डल की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।